संख्या 4/1–2001-का–2–2007

प्रेषक,

जे० एस० दीपक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

लखनऊ : दिनांक 29 अगस्त, 2007

विषय–अनुसूचित जनजाति के कार्मिक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जाति के तथा अनुसूचित जाति के कार्मिक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति के कार्मिक को पदोन्नति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–2

शासनादेश संख्या 4/1–2001-का–2–2002, दिनांक 25 जून, 2002 द्वारा पदोन्नति में आरक्षण नीति को लागू करने के लिए रोस्टर विषयक शासनादेश निर्गत किया गया है।

2–संदर्भगत शासनादेश के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं और पदों में प्रोन्नति के प्रक्रम पर "किसी भर्ती वर्ष में अनुसूचित जनजातियों अथवा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पदों को पदोन्नति द्वारा भरने के लिए उस आरक्षित वर्ग का कोई कार्मिक उपलब्ध न हो तो यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति की रिक्ति को अनुसूचित जाति के उपयुक्त कार्मिक से तथा अनुसूचित जाति की रिक्ति को अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त कार्मिक से भरा जा सकता है। अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों, यथास्थिति, के लिए विनिर्दिष्ट कोई रिक्ति घटित होते ही अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से संबंधित उस पदोन्नत व्यक्ति को उसकी अपनी श्रेणी की ऐसी रिक्ति के प्रति समायोजित किया जाएगा।"

कृपया शासन द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय
जे० एस० दीपक,
प्रमुख सचिव।

संख्या 4/1–2001-का–2–2007, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
जे० एस० दीपक,
प्रमुख सचिव।

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 32 सा०नियुक्ति–23-3-2010–(2627)–1,000 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।